न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 78/2015

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.जोगा पुत्र खंगारा, चौधरी, 2.भारता पुत्र वरदाजी, चौधरी, निवासीगण सामतीपुरा, तहसील जालोर, जिला जालोर (राज.)		1.कपूरा पुत्र वरदाजी, चौधरी, 2.पका पुत्र खंगारा, चौधरी, निवासी सामतीपुरा, तहसील जालोर, जिला जालोर 3.राज.सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 19.5.2015
(बंटवाडा प्रार्थनापत्र)

1.श्री सवाराम चौधरी, अभिभाषक, अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.3 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 12.3.2020

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि ग्राम सामतीपुरा के खाता सं. 108 के खसरा नम्बर 371,372 रकबा 1.91हेक्टर की संयुक्त खातेदारी अपीलांट के नाम आई हुई है जिसका बंटवाडा लोक अदालत केम्प सामतीपुरा में किया गया। अपीलांट भारताराम व जोगाराम अनपढ है,शेष अक्षरज्ञान वाले है ,खातेदारी के अनुसार 1/2 हिस्सा वरदाजी के लडके भारता व कपूरा का है व 1/2 हिस्सा पेका ,जोगा पिसरान् खंगारा का है, परन्तु मातहत अदालत ने बिना रेकर्ड देखे अपीलांट का अंगुष्ठ हस्ताक्षर करके फैसला करने में कानूनी भूल की है यानि रेकर्ड के अनुसार जोगा व पका का 0.95 हेक्टर व भारता ,कपूरा का 0.95 हेक्टर बनता है ,मातहत अदालत ने अपीलांट का बंटवाडा नक्शा भी नहीं लिया , न नक्शें में मौके पर बंटवाडा दर्शाया है जबकि अदालत मातहत ने 1/2 हिस्सा का बंटवाडा नही करके 1/3 हिस्से का बंटवाडा 0.64 हेक्टर के रूप में कर दिया है जबकि खातेदार तीन नही होकर चार है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2)के नियमों की पालना नहीं की गई है,बंटवाडा के नियमों

के अनुसार तहसीलदार के समक्ष 100/–रू. के स्टाम्प पर लिखित बंटवाडा नोटेरी से तस्दीक कर मय नक्शें में अलग अलग हिस्सा पेश करने के बाद पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट ली जाती है, लेकिन सिर्फ केम्प में बैठे बैठे ही कार्यवाही की गई है जिससे आज दिन तक नक्शे में तरमीम नहीं हो सकी है। अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का निर्णय दिनांक 19.5.2015 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई का प्रकरण भिजवावे। अपीलांट ने अपील में फहरिस्त के साथ बंटवाडा आदेश की प्रमाणित प्रति आदि नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा सामतीपुरा के खातेदारी खसरा नम्बर 371 ,372 की संयुक्त खातेदारी आई हुई है, मातहत अदालत तहसीलदार जालोर ने दिनांक 19.5.15को लोक अदालत केम्प सामतीपुरा में आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया जो नियमानुसार नही है,खातेदारी अनुसार भारता,कपूरा पुत्र वरदाजी का 1/2 हिस्सा, पेका ,जोगा पुत्र खंगारा का 1/2 हिस्सा है, रेकर्ड अनुसार भारता, कपूरा पुत्र वरदाजी का 0.95 हेक्टर व पेका,जोगा पुत्र खंगारा का 0.95 हेक्टर बनता है जबकि तहसीलदार जालोर ने 1/2 हिस्सा का बंटवाडा नहीं करके 1/3 हिस्से का बंटवाडा 0.64 के रूप में कर दिया है जबकि खातेदार तीन नही होकर चार है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का निर्णय दिनांक 19.5.2015 निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमाण्ड करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि आपसी सहमति बंटवाडा प्रार्थनापत्र, नक्शा ट्रेस,100/–के स्टाम्प पेपर पर अपीलांट सं. 1–जोगा पुत्र खंगारा चौधरी व अपीलांट सं.2–भारता पुत्र वरदाजी चौधरी के अंगुष्ठ निशान है जिसको तहसीलदार जालोर द्वारा दिनांक 19.5.2015 को ही प्रमाणित किया हुआ है, अतः अपीलांट्स की अपील खारिज योग्य है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया।जमाबंदी संवत् 2072–2075 के अनुसार 1.91 हेक्टर में से भारता,कपूरा पि. वरदा को 1/2, तथा जोगा,पका पिसरान् खंगारा को 1/2 का बंटवाडा नहीं कर, भारता,कपूरा पि. वरदा को 1/3 हिस्सा यानि 0.64 हेक्टर व जोगा पुत्र खंगारा को 1/3 हिस्सा यानि 0.64 हेक्टर तथा पका पुत्र खंगारा को 1/3हिस्सा यानि 0.63 हेक्टर का बंटवाडा कर दिया। भारता तथा कपूरा को अपने हिस्से से कम भूमि विभाजन पत्र में देने तथा जोगा व पका को अपने हिस्से से ज्यादा भूमि बंटवाडे में देने का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जालोर द्वारा पारित बंटवाडा आदेश दिनांक 19.5.2015 (क्रमांकःराजस्व / 2015 / 32) निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 12.3.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर